तारीख हुक्म	हुक्म वा कार्यवाही मय इनिशियल्स जज श्री नरेश, 163, वी.डी. नगर, जिला पाली (राज.) बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर पाली प्रथम सूचना अपील संख्या :– 39/2026 जीसीएमएस नं. :– 2026/65 (अपील अन्तर्गत धारा 19(1) आर.टी.आई. एक्ट 2005)	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
12.05.2026	1. पत्रावली आज पेश हुई । अपीलार्थी स्वयं उपस्थित। प्रत्यर्थी का जवाब प्राप्त। 2. अपीलार्थी ने अपने आवेदन–पत्र में वर्णित सूचना लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली से चाही गई थी परन्तु प्रत्यर्थी के द्वारा वांछित सूचना उपलब्ध नहीं करवाये जाने के कारण अपीलार्थी द्वारा यह अपील प्रस्तुत कर प्रत्यर्थी से सूचना दिलाये जाने का निवेदन किया है। 3. लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली ने जरिये पत्रांक/रा.लो.सू.अ./65/2026/606 दिनांक 05.05.2026 के इस न्यायालय को अवगत कराया कि अपीलार्थी द्वारा वांछित सूचना जिसमें किसी भी अभिलेख विशेष का उल्लेख न कर विभिन्न प्रकार की सामान्य सूचनाओं की अपेक्षा की गई थी, जो सीधे तौर पर एक स्थल पर उपलब्ध नहीं होती है। अपीलार्थी को अवगत करवाया गया कि यदि वे किसी अभिलेख विशेष की छाया प्रति चाहते है या अवलोकन चाहते है तो उसका उल्लेख करे। अतः अपील अपीलार्थी खारिज फरमाई जावे। 4. हमने पत्रावली का अवलोकन किया। अपीलार्थी ने अपने आवेदन पत्र में 12 बिन्दुओं और 6 उप बिन्दुओं की सूचना की अपेक्षा की थी। पत्रावली का अवलोकन करने पर यह पाया कि अपीलार्थी ने अत्यंत व्यापक एवं अस्पष्ट प्रकार की सूचनाएं मांगी थी। आवेदन में यह स्पष्ट नहीं था कि कौन–से विशेष अभिलेख दस्तावेज या रिकॉर्ड से सूचना संबंधित है। सूचना का अधिकार अधिनियम के अन्तर्गत केवल वहीं सूचना प्राप्त क जा सकती है, जो किसी लोक प्राधिकारी के पास उपलब्ध एवं विद्यमान हो। इसके अतिरिक्त सूचना के अधिकार के अधिनियम के अनुसार सूचना की परिभाषा को पढ़ा जाये तो अपीलार्थी के पास आवेदक के रूप में जो अधिकार है, वे स्पष्ट हो जाता है कि वे किसी कृति, दस्तावेज अथवा अभिलेखों का निरीक्षण कर सकते है तथा ऐसे अभिलेखों के टिप्पण, उद्धरण या प्रमाणित प्रतिलिपि प्राप्त कर सकते है। अपीलार्थी ने अपने आवेदन के माध्यम से अपने इस अधिकार का ध्यान नहीं रखा है, और उन्होंने इससे बाहर जाकर अन्यथा सूचनाएं लेने का प्रयास किया है, और ऐसी स्थिति में उत्तर अपीलार्थी को प्रत्यर्थी पक्ष ने उपलब्ध करवा दिया, एवं प्रत्यर्थी पक्ष द्वारा जो उत्तर दिया था, उसे किसी भी स्थिति में अविधिक अथवा अपूर्ण नहीं कहा जा सकता। अपीलार्थी के आवेदन का यदि गहनतापूर्वक अवलोकन किया जाये तो उसमें, अधिकारों, प्रक्रियात्मक और विधिक सूचनाओं के संदर्भ में अलग–अलग प्रकार की सूचना की अपेक्षा की है एवं सूचना जो प्रत्यर्थी पक्ष के स्त्रोतों का आनुपातिक रूप से विचलित करने वाली है, और सूचना का अधिकार अधिनियम, 2005 की धारा 7(9) के अन्तर्गत ऐसी सूचना भी अदेयता की श्रेणी में आती है। 5. अतः उपरोक्त विवेचन के परिप्रेक्ष्य एवं पत्रावली पर उपलब्ध अभिलेखों के आधार पर यह पाया जाता है कि लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना का समुचित एवं संतोषजनक निराकरण किया गया है तथा अब जैर प्रकरण में हम अतिरिक्त हस्तक्षेप करना उचित नहीं समझते। लिहाजा अपील–अपीलार्थी खारिज की जाती है। अपीलार्थी चाहे तो लोक सूचना अधिकारी के पत्र	

प्रकरण संख्या 37/2026 बजरिये श्री नरेश बनाम लोक सूचना अधिकारी एवं अतिरिक्त जिला कलक्टर, पाली

क्रमांक 1484 दिनांक 27.02.2026 की पालना में वांछित पत्रावली का अवलोकन कर सकता है।

6. निर्णय आज दिनांक 12.05.2026 को लिखवाया जाकर कर खुले न्यायालय में सुनाया गया। निर्णय की प्रति उभयपक्ष को प्रेषित की जावे। पत्रावली फैसल शुमार हो कर नम्बर से कम हो बाद जाब्ता दाखिल दफ्तर हो।

(डॉ. रविन्द्र गोस्वामी)
प्रथम अपीलीय अधिकारी
लोक सूचना एवं जिला कलक्टर पाली